

खबर संक्षेप

सतना जिले में रक्तदान शिविर एवं सत्संग कार्यक्रम

सतना। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविन्दर हरदेव जी महाराज जी की असीम कृपा से दिनांक 24 अप्रैल दिन बुधवार को संत निरंकारी सत्संग भवन, कृष्ण नगर में 'मानव एकता दिवस' के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन प्रातः 9.00 बजे से 2.00 बजे तक किया जायेगा। तत्पश्चात सायं 4.00 बजे 6.00 बजे तक विशाल आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन परमसत्कारयोग संत श्री गुरुदयाल सिंह कनौजिया (दिल्ली) के पावन सानिध्य में किया जायेगा। इससे पूर्व दिनांक 23 अप्रैल 2024 गंगलवार को रक्तदान शिविर हेतु विशाल रक्तदान जागरूकता रैली का आयोजन संत निरंकारी सत्संग भवन कृष्ण नगर से प्रारंभ होकर हास्पिटल चौक, पन्नीलाल चौक, जयस्तंभ चौक, स्टेशन रोड, सर्किट हाउस चौक, सेमरिया चौक से होकर सिंधी कैम्प के प्रमुख मार्गों से होकर संत निरंकारी सत्संग भवन सिंधी कैम्प में सम्पन्न होगी। रैली में नुककड नाटक के द्वारा भी लोगों को रक्तदान हेतु प्रेरित किया जायेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में इस मानव एकता दिवस पर सतना ब्रान्च के इंचार्ज डॉ. जगदीश सेवानी ने सभी प्रभू-प्रेमियों को सादर आमन्त्रित किया है कि सभी पधारकर सद्गुरु के आशीर्वादों के पात्र बने एवं अपना जीवन धन्य करें।

सड़क निर्माण में लगे टैकर में आया करंट, चालक की मौत, सहायक गंभीर

मैहर। कांठकशन कम्पनी के द्वारा पौड़ा से लेकर बचैया गांव तक सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। पौड़ा से बचैया के बीच चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान मुरुम में पानी डालने का चल रहा था कार्य, बिजली तार की चपेट में टैकर आने से फेल गया करंट, करंट की चपेट में आए चालक की मौत हो गई जबकि सहायक की हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस जांच में जुटी।

नए मतदाताओं के लिए



चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान

मैहर। मैहर लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मैहर कलेक्टर रानी बाटड ने एक्ससीलेंस विद्यालय प्रांगण में शिक्षकों और नवीन मतदाताओं को शतप्रतिशत मतदान कराने एवं अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर एसडीएम मैहर विकास सिंह, नगर पालिका सीएमओ लालजी ताम्रकार, तहसीलदार जितेंद्र पटेल उपस्थित रहे।

मैहर में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली



सतना। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदान हेतु नगर भर में मतदाता जागरूकता बाइक रैली को कलेक्टर रानी बाटड द्वारा हरी झंडी दिखा कर शुरू किया गया। मतदाता जागरूकता रैली नगर पालिका, घंटाघर, पुरानी बस्ती होते हुए नगर पालिका में समाप्त किया गया। इस रैली में मैहर एसडीएम विकास सिंह और सीएमओ लालजी ताम्रकार, नगरपालिका अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

खून बहता रहा... डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे... अस्पताल के बाहर हंगामा महिला मरीज ने दम तोड़ा



परिजनों का आरोप-श्रीजी कान्हा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने की मनमानी

सतना। सर्किट हाउस चौराहे के निकट स्थित श्रीजी कान्हा अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी से एक मरीज की मौत हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला मरीज के शरीर से खून बह रहा था... डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे... हालत बिगड़ गई और मरीज ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने खून के बारे में तब बताया जब शरीर से अत्यधिक मात्रा में खून बह गया था और मरीज की जान आपत में पड़ चुकी थी। बाद में डॉक्टरों का कहना था खून चढ़ना पड़ेगा। महिला मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि घटना की शिकायत पुलिस से की जाएगी।

18तारीख को बिगड़ी तबीयत

प्राइवेट हॉस्पिटल श्रीजी कान्हा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत पर परिजनों का आरोप है कि 18 तारीख को तबीयत खराब हुई थी। मरीज को सरदार वल्लभभाई पटेल जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने देखने के बाद रेफर करने के लिए बोला। मरीज को रीवा ले जाया जा रहा था। परंतु यहां के कुछ प्राइवेट एंबुलेंस वाले कमीशन बनाने के चक्कर में मरीज को सतना के ही प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। श्रीजी कान्हा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

नहीं दे रहे थे दवा की फाइल

महिला के परिजन राजेश कुशवाहा निवासी डिलौरा ने बताया कि मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग डॉक्टर से फाइल मांग रहे थे लेकिन डॉक्टर फाइल नहीं दे रहे थे। काफी बोलने और हंगामा करने के बाद डॉक्टरों ने फाइल दी है और रिजल्ट कागज नहीं दिए हैं। फाइल में क्या है क्या नहीं है अभी नहीं पता। जिस वक्त हंगामा मच रहा था उस वक्त श्रीजी कान्हा अस्पताल के संचालक वहां नहीं थे पता चला कि वह वहां से भाग खड़े हुए।

एंबुलेंस चालकों से मिलीमगत

बताया जाता है कि यहां के निजी अस्पताल के संचालकों ने एंबुलेंस चालकों से मिली मगत कर रखी है। जब भी सरकारी अस्पताल से किसी भी मरीज को गंभीर स्थिति में जबलपुर रीवा अथवा नागपुर के लिए रेफर किया जाता है तो एंबुलेंस के संचालक मरीज के परिजनों को भड़का देते हैं और उन्हें सतना के ही निजी अस्पतालों में ले जाकर भर्ती करा देते हैं। बताया जाता है कि एंबुलेंस संचालकों को निजी अस्पताल के संचालकों द्वारा मरीज लाने के लिए मोटा कमीशन दिया जाता है। इसी तरह की स्थिति श्रीजी कान्हा अस्पताल के बारे में भी बताई गई है।

कोरोना काल में भी की थी मनमानी

आपको बता दे कि श्रीजी कान्हा अस्पताल के संचालक द्वारा कोरोना काल में जमकर मनमानी की गई थी। लिहाजा सूचना मिलने पर सतना के तब के कलेक्टर ने संचालक को जमकर फटकार लगाई थी। बताया जाता है कि संचालक को राजनीतिक सपोर्ट मिलने के कारण उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। यही वजह है कि संचालक द्वारा मनमानी की जा रही है और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

तेज रफ्तार हार्वेस्टर अनियंत्रित होकर नाले में गिरा, चालक घायल

सतना। अमदरा थाना अंतर्गत सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा हार्वेस्टर अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया जिसके कारण वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हार्वेस्टर चालक की मुताबिक उक्त हार्वेस्टर सोमवार को डूंडी गांव में एक किसान की फसल काटने आया था। बताया जाता है कि इसी दौरान गांव के ही पास चालक ने जब हार्वेस्टर को तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ाया तभी एक अन्य वाहन के सामने आ गया, उसे बचाने के चक्कर में चालक हड़बड़ी में हार्वेस्टर पर से नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते हार्वेस्टर नाले में जाकर पलट गया। जिसके कारण चालक जितेंद्र पटेल पुत्र सुरेश पटेल 22 वर्ष निवासी डूंडी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायल चालक को शासकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस घटना में जांच कार्यवाही कर रही है।

सर्गाफा कारोबारियों के ठिकानो पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई



सतना। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के फूलचंद चौक गणपत मार्ग इलाके में सोमवार की दोपहर जीएसटी विभाग की टीम ने सर्गाफा कारोबार से जुड़े दो व्यापारियों के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने यहां पर मौजूद कर्मचारी और संचालक से पूछताछ की तथा संस्थान में मिले आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी विभाग के

अधिकारियों ने कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है जिसकी सूक्ष्म जांच की जा रही है। छापामार कार्रवाई के बाद यहां पर दूसरे अन्य व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया। खबर लिखे जाने तक जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही जारी कर रखी थी अभी किसी भी प्रकार की सूचना जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक नहीं की है।

कलेक्टर ने किया स्ट्रांग रूम का किय औचक निरीक्षण स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने निर्देश

हरिभूमि न्यूज कटनी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद ने सोमवार की शाम कृषि उपज मंडी पहरूआ परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखी गई इन्व्हीएम, व्हीव्हीपेट मशीनों के स्थल का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर श्री प्रसाद ने निरीक्षण के दौरान सीसी टी व्ही कैमरों एवं एल ई टी व्ही की जांच की जाकर मुसैद सुरक्षा प्रहरियों को सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। बताते चलें की कटनी के कृषि उपज मंडी परिसर में स्ट्रांग रूम में जिले की विधानसभा क्षेत्र बडवारा, का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। शहडोल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले बडवारा विधानसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। इनकी कड़ी निगरानी और सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा बलों द्वारा पहरेदारी की जा रही है।



एल.ई.टी. स्क्रीन में सुगमता और सहजता से पूरा दृश्य देखने की उम्दा व्यवस्था की है। अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अधिकारी यदि चाहें तो सुरक्षा घेरा के बाहर टेंट लगाकर स्ट्रांग रूम की देखरेख कर सकते हैं। इस हेतु रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा अधिकृत प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पहचान पत्र जारी किया जावेगा।

नजिस्ट्रेटों की लगी ड्यूटी

आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद ने स्ट्रांगरूम की देखरेख हेतु कार्यपालक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है जो प्रतिदिन स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करेंगे।

यात्री का खोया मोबाइल पुलिस ने तत्परता से खोज निकाला

मैहर। मैहर पुलिस बल के द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया गया। बताया जा रहा है कि मां शारदा के दर्शन करने मैहर पहुंचे दर्शनार्थी श्याम प्रकाश गुप्ता पिता राम प्रकाश गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी थाना जसवंत नगर जिला इटावा उत्तर प्रदेश के द्वारा चौकी में सूचना दी गई कि मंदिर में दर्शन के दौरान मोबाइल रेडमी कंपनी का कहीं गिर गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर देवी चौकी प्रभारी महेंद्र गौतम के आदेशानुसार सैनिक वासुदेव साकेत द्वारा कड़ी मेहनत के बाद मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया और बताए अनुसार वेरिफिकेशन कर मोबाइल राम प्रकाश गुप्ता के सुपुर्द किया गया जिस पर दर्शनार्थी द्वारा मैहर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

एकेएस में आयोजित माइक्रोसॉफ्ट परीक्षा में कंप्यूटर साइंस के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

सतना। एकेएस विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट एच्यू एआई पर माइक्रोसॉफ्ट प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किया परीक्षा में शामिल हुए 8 छात्रों में से, 5 छात्र अब माइक्रो सॉफ्ट के एच्यू प्रोफेशनल प्रमाणित हैं। इस परीक्षा में सचिन कुमार कोरी ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किये और अबल नंबर हासिल किया। यह उपलब्धि छात्रों की क्षमता को रेखांकित करती है और महत्वाकांक्षी पेशेवरों के बीच तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा देने में एकेएस विश्वविद्यालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच प्रभावी सहयोग को प्रदर्शित करती है। एकेएस विश्वविद्यालय ने मनीष सोनी, रोहित साहू, सचिन कुमार कोरी, प्रणव सोनी और राहुल



कुशवाह को प्रमाणित माइक्रोसॉफ्ट विशेषज्ञ बनने पर उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इस उपलब्धि के जवाब में, एकेएस परिवार परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को डॉ. अखिलेश ए. वाऊ सीएस, आईटी ने इस परीक्षा को सफल तरीके से आयोजित करने के लिए लोकेंद्र गौर और अरुणेंद्र सोनी को बधाई दी है।

रेत के अवैध परिवहन करने पर 31 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज कटनी

कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के लिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप विगत दिवसों रेत के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए एक वाहनों से 31 हजार 625 रुपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विगत 19 अप्रैल को ग्राम देवसरी इंदौर मोड़ रोड में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एम.पी. 54



एए 2293 मय ट्राली सहित से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, संदीप कोल पिता लल्लू कोल निवासी नदीपार विजयराघवगढ़ वाहन मालिक विवेक जायसवाल पिता शंकरलाल जायसवाल कटनी द्वारा 3 धनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त किया गया। खनिज विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम 2022 के नियम 20 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रुपये जमा करने का सूचना पत्र जारी किया गया। अनावेदक उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रुपये जमा कराई जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिवहनकर्ता के द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा होने पर जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करने के प्रावधान के अंतर्गत जप्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।

खबर संक्षेप

कल शाम 6 बजे थम जायेगा चुनावी प्रचार
पन्ना। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो के लिए 26 अप्रैल 2024 को मतदान कराया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 26 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीवीजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुकड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मतदान दलों का हुआ प्रशिक्षण



पन्ना। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना के कला भवन के 5 कक्षाओं में सोमवार को पीठासीन अधिकारी सहित मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा निर्वाचन में संलग्न मतदान दलों के लिए ईवीएम मशीन का हैण्ड्सऑन प्रशिक्षण सहित दायित्व से संबंधित बारिकियों को बताया गया। इस दौरान ईवीएम मशीनों के संचालन, सीलिंग, मॉकपोल और सीआरसी इत्यादि की जानकारी भी दी गई। नियुक्त मतदान दल द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में 25 अप्रैल को सुबह उपस्थित दर्ज कराई जाएगी। मतदान दल सामग्री प्राप्त कर मतदान केन्द्रों के लिए वाहनों से रवाना होंगे और मतदान समाप्ति उपरांत महाविद्यालय परिसर में सामग्री जमा करेंगे।

निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
पन्ना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अधीक्षण यंत्र को शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर एवं विद्युत विभाग की टीम तैनात कर निरंतर विद्युत सुविधा बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। महाविद्यालय परिसर से 25 अप्रैल को सुबह 6 बजे मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया जाएगा। साथ ही 26 अप्रैल को शाम 6 बजे से सामग्री जमा कराई जाएगी। इस दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

शांति पूर्ण लोकसभा चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर नगर में पुलिस बल का निकला फ्लैग मार्च

पन्ना। लोकसभा चुनाव आने वाली 26 अप्रैल को खजुराहो संसदीय क्षेत्र में मतदान सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस बल का दायित्व जो महत्वपूर्ण है जिनके कंधों पर ही शांति पूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर जिम्मेदारी होती है। जिले के पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह के निर्देशन के तहत जहां हमारे जिले की पुलिस देश भक्ति जन सेवा जज्बा लिये आज नगर में आज फ्लैग मार्च निकालते हुये अपनी शक्ति स्वयं ही आम जनता के भरोसे को कायम रखने के लिये प्रदर्शित की वहीं पुलिस बल के रूप में जितने विशेष कंपनियों भी जिले में आई इसके साथ-साथ पुलिस अधिकारी के रूप में जिन्हें चुनाव कराने में विशेष अधिकार सौंपे जाते है ऐसे सभी जिम्मेदारों का प्रशिक्षण कराते हुये



उन्हें चुनाव में अपने दायित्वों के निर्वाहन को लेकर पुलिस अधीक्षक पन्ना के मार्गदर्शन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र खजुराहो में पन्ना जिले की समस्त पोलिंग बूथों में जहां शांति पूर्ण मतदान कराने को लेकर हमारे जाबॉज देश भक्ति जन सेवा का जज्बा लिये पुलिस का दायित्व निभाने के लिये कार्य करते है जिनके बदैलत ही शांति पूर्ण चुनाव सम्पन्न होता है संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व चुनाव के समय हर घंटे या यह कहें कि हर क्षण पर पैनी नजर रखते हुये चुनाव कराने को लेकर तत्पर है। हमारे जिले की पुलिस बल जो आज अपनी शक्ति फ्लैग मार्च के रूप में बयां करते हुये नगर में सामने आई। बिना किसी भी भय के शांति पूर्ण मतदान सम्पन्न कराने को लेकर तत्परता के साथ यह एक तैयारी है हमारे पुलिस विभाग की।


तीन हजार पुलिस बल लोकसभा चुनाव जिले में सम्पन्न कराने के लिये तैनात



पन्ना। जिले में चुनाव लोकसभा सम्पन्न होने जा रहा है जिसको लेकर सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिये तीन हजार पुलिस बल पुलिस अधीक्षक पन्ना के मार्गदर्शन में चुनाव कराने के लिये तैनात है। जिसमें 6 कंपनियों बाहर से सीआरएफ की 02, एसएपी बेस्टा बंगाल 01, एसएबी की

6 कंपनी पुलिस बल के रूप में बाहर से जिले में चुनाव ड्रियूटी में निमायेगी दायित्व

01, एसएफ की 02 तथा होमगार्ड का पुलिस बल एक हजार स्पेशल एस.पी.ओ. के 1200 तथा डी.एफ. के 600 पुलिस बल के रूप में दायित्व निवाहन को लेकर जिम्मेदारी निभायेगी यानिकी जिले में कुल 3000 पुलिस बल शांति पूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर तत्पर है। जिनका प्रशिक्षण भी बखूबी पुलिस अधीक्षक पन्ना के मार्गदर्शन में वहीं अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में



सम्पन्न कराया गया है। फ्लैग स्वयं ही ताकत नगर में दिखाई मार्च के साथ पुलिस ने अपनी जिससे आम जनता में विश्वास भीर कायम हुआ। जिले में शांति पूर्ण चुनाव होगा सम्पन्न।

प्रकृति का मत करो शोषण, इससे होता हमारा पोषण - ब्रह्माकुमारी सीता बहनजी

दर्दनाक हादसा: यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार ताऊ एवं भतीजे की मौके पर मौत



जसवंतपुरा से गुनौर गए थे मोटर साइकिल में ताऊ एवं भतीजा पन्ना। जिले के अमानगंज थाना अंतर्गत ग्राम जसवंतपुरा निवासी जीतू दहायत एवं उनके बड़े पिता श्री डरे दहायत अपनी मोटरसाइकिल ए म पी 6740 में सवार होकर गुनौर जा रहे थे। तभी एक यात्री बस के चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे मोटरसाइकिल में सवार डरे दहायत एवं मोटरसाइकिल चालक जीतू दहायत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही गुनौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को निजी वाहन से शव की शिनाख्त व पंचनामा उपरांत विच्छेदन गृह भिजवाया गया है। पुलिस ने यात्री बस चालक के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर घटना कारित करने का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस दर्दनाक सड़क हादसे में हुई एक ही परिवार के दो व्यक्तियों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है एवं गांव में भी मातम का माहौल बताया जा रहा है।



पन्ना। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय में "विश्व पृथ्वी दिवस" पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहन जी ने सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण की जागृति के लिए 192 देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके मनाया जाता है। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस को मनाया जा रहा है। यह भूमि हमारी जननी है इसकी रक्षा करना, इसको सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। सवरे जागते ही धरती मां को नमन करने की संस्कृति हमारी ही है। पृथ्वी हमारी माता है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी पृथ्वी के बिना जीवन यापन असंभव है, क्योंकि जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक प्रत्येक महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि ऑक्सीजन, पानी, वायु इत्यादि केवल सृष्टि पर ही उपलब्ध है लेकिन आज मनुष्य की अनेकता के कारण पृथ्वी अपनी ही संरचना को नष्ट कर रही है हमारे ही कर्मों ने आज पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के जीवन को संकट में डाल दिया है। संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाक्त वातावरण वायु जल एवं ध्वनि प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग वनों की कटाई तथा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग इत्यादि पर्यावरण के विषयों पर ध्यान देना अति आवश्यक हो गया है। हमें पृथ्वी को बचाने के लिए अपने अप्राकृतिक जीवन में शीघ्र ही बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है।

करने वाली आज उसी मां की यह हालत हो चुकी है कि कक्रोट के जंगलों के भार से ज्यादा व्यक्ति की लालच से हिल रही हूं। मानव की मनमानी चाहतों और महत्वाकांक्षाओं से आज धरती मां डसी जा रही हूं, मानव आकाश में आशियाने बनाता जा रहा है और मैं धरती मां होकर भी नीचे धसती जा रही हूं। आगे आपने सभी को अपने-अपने घरों में गृह वाटिका लगाने की प्रेरणा दी और कहा कि कहीं भी जगह हो जरूर पेड़ लगाने की मेहनत करनी है लेकिन सिर्फ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उस वृक्ष की बच्चे जैसी संभाल भी करनी है। अंत में सभी ने वृक्षारोपण किया एवं पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिज्ञा की कि- हम अपनी धरती को प्रदूषित होने से बचाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, धरती को शक्तिशाली बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वर्णिम भारत बनाएंगे।

देवेन्द्रनगर कृषि उपज मंडी में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के सातवे दिन भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा चरित्र की कथा सुन भाव विभोर हो गए श्रोता

देवेन्द्रनगर निवासी द्वारका प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा कृषि उपज मंडी में राधा कृष्ण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा कर संगीतमय श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया जा रहा है



देवेन्द्रनगर। श्रीमद् भागवत कथा के सातवे दिन सुदामा चरित्र के वर्णन के साथ कथाव्यास पंडित श्री जगदीश प्रसाद शास्त्री जी द्वारा सुदामा चरित्र का वर्णन किए जाने पर पंडाल में उपस्थित श्रोता भाव-विभोर हो गए। महाराज श्री ने कहा कि मित्रता करो, तो भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा जैसी करो वही महाराज श्री ने सुदामा चरित्र प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं उनसे जाकर मिलो शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। कृष्ण यह सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण के आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सिंघासन पर बैठकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियों सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहां महल बना पाते हैं लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। वही चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में सुदामा जी की दीन दशा देखकर लोग भाव विभोर हो गए वही महाराज श्री ने कुछ भजन गए और आरती हुई जिस पर जमकर श्रद्धालु झूमें।

कलेक्टर के आदेश के बाद जांच दल में प्रतिनिधि क्या उचित?

आखिर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली स्वयं से जिम्मेदार अधिकारी सुर्खियां बनाने में माहिर

पन्ना। कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना के आदेश जिला शिक्षा केन्द्र के तहत कतिपय स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा एनसीआरटी/एससीईआरटी/से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रशासकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य शैक्षिक सामग्री अथवा युनिफार्म के क्रय हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार एससीआरटीसी/एससीआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रशासकों की पाठ्य पुस्तकों का चयन कर अभिभावक को दुकान विशेष/निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री अथवा युनिफार्म क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है जिसको लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 550/744/2018/20-3 भोपाल दिनांक 01.04.2024 के तहत इस आशय की शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) 2020 के नियम 6 एवं 9 को संज्ञान में लेकर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश

जारी किये गये है। अतः उक्त निर्देशों के परिपालन में जिले में संचालित निजी शालाओं में अध्यक्षनरत विद्यार्थियों को पुस्तकों युनिफार्म एवं अन्य शैक्षिक सामग्री को विशेष दुकान से क्रय अथवा स्कूल से ही क्रय करने के लिये बाध्य करने संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु जिले में विकास खण्डवार निम्नानुसार तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कलेक्टर द्वारा किया गया था इसके बावजूद जांच समिति के सदस्य स्वयं से अपना प्रतिनिधि जांच में कैसे भेज सकते है यह तो जिम्मेदार ही बतायें। बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पन्ना विकासखण्ड की दास्तां पन्ना। जिले में शिक्षा विभाग अपनी सुर्खियों को लेकर स्वयं से कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन जाता है यह विभाग कलेक्टर के आदेश के बाद भी स्वयं से शिक्षा विभाग पन्ना विकासखण्ड में जांच दल की जो समिति बनाई थी उसमें अशोक मिश्रा भी आईओ पन्ना, विकासखण्ड श्रोत समन्वयक पन्ना डॉ0 कविता त्रिवेदी, श्रीमती सुधा पटैरिया, हायर सेकेण्ड्री प्राचार्य आर.पी. विद्यालय पन्ना जिन्हें पन्ना विकासखण्ड में



निजी विद्यालयों के लिये जांच दल की समिति बनाई गई थी कलेक्टर के आदेश के तहत दिनांक 18.04.2024 को जिस जांच दल की समिति के द्वारा म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्र0 550/744/2018/20-3 भोपाल दिनांक 01.04.2024 के तहत इस आशय की शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में यानिकी निजी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का विषयवार एनसीआरटीसी/एससीआरटीसी से संबंधित पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री को लेकर अभिभावकों को दुकान विशेष निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों या अन्य शैक्षिक सामग्री तथा युनिफार्म क्रय करने को लेकर दबाव न बनाया जाये या बनाया जाता है तो इसकी शिकायतों को ध्यान में रखकर इस जांच समिति को निराकरण को लेकर पन्ना विकासखण्ड में जांच करने के लिये निजी विद्यालयों के लिये कलेक्टर पन्ना के द्वारा टीम बनाई गई थी। पर गौरतलब बात तो यह है किइस टीम में भी जब लिस्ट्यू आनन्द स्कूल पन्ना का निरीक्षण किया गया दिनांक 20.04.2024 को जिसमें बीआरसी पन्ना के प्रतिनिधि को भेजकर इस जांच समिति में बखूबी भूमिका जांच समिति के साथ निर्भाई गई। यहां विकासखण्ड श्रोत समन्वयक पन्ना (बीआरसी) के प्रतिनिधि के रूप में जांच दल के साथ कार्यवाही के लिये उचित कलेक्टर के आदेश में क्या उल्लेखित है या कलेक्टर के आदेश के बाद जिले के

किसी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई यह अपने आप में बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पन्ना में स्वयं ही बन जाती है कार्य प्रणाली की सुर्खियां इतने स्वयं में क्या कलेक्टर का आदेश भी न मानकर स्वयं से ही कार्य प्रणाली की दिशा तय हो जाती है यह तो जिम्मेदार ही जानें। गौरतलब बात यह है कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पन्ना अशोक मिश्रा भी इस जांच दल में मौजूद रहे आखिर क्या इस तरह से जांच दल में प्रतिनिधि स्वीकार होता है या कि सब जायज होता है। यह तो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ही बतायें आखिर कलेक्टर के आदेश के बाद स्वयं से प्रतिनिधि नियुक्त किया गया या कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा आदेश किया गया। जो अपने आप में सवाल है आखिर जब जिम्मेदार अधिकारी चुनाव के समय आचार संहिता जहां संपूर्ण जिले में लागू है वहीं कलेक्टर पन्ना के आदेश के बाद इस तरह की कार्यप्रणाली जो सामने आई निश्चिततौर पर अपने आप में शिक्षा विभाग ही इस संबंध जवाब दे सकता है। आखिर जांच समिति की कार्य प्रणाली स्वयं से ही उत्तर दायित्वों के निर्वाहन को लेकर बनी जांच का विषय क्या हालात शिक्षा विभाग में कायम है अब यह तो विभाग प्रमुख या फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कलेक्टर पन्ना स्वयं ही जानें।

खबर संक्षेप

पीड़ित परिवार ने एसपी को शिकायती आवेदन देकर की कार्यवाही की मांग



छतरपुर। बड़ामलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम सरगुवां के रहने वाले दम्पति ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार बड़ामलहरा क्षेत्र के ग्राम सरगुवां के रहने वाले जयम यादव तनय हल्काई यादव उम्र 32 वर्ष ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि 15 अप्रैल को उसके साथ अंतु यादव उसके पिता मिजाजी यादव सहित दो अन्य लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी थी जिसकी रिपोर्ट बड़ामलहरा थाने में की गई थी लेकिन पुलिस ने उसके बताए अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ना ही आरोपियों पर अब तक कोई कार्यवाही की है जिससे आरोपियों के हासले बुलंद हैं एवं उसको व उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन देकर आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की है।

राहगीरों को समझाया वोट की ताकत

छतरपुर। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा निर्वाचन के पहले जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान छेड़ रखा है। इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत सोमवार को पं. बाबूराम चतुर्वेदी स्टैडियम के समीप वोट राहगीरी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नगर पालिका छतरपुर की टीम ने जनता के बीच विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। स्वीप अधिकारियों की इस टीम के द्वारा सड़क पर ही लुडो, कैरम, सांप सिडी जैसे खेलों में लोगों की सहभागिता कराई गई। इस दौरान अनेक विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। कई विद्यार्थियों से मतदान और लोकतंत्र से जुड़े सवाल पूछे गए और उन्हें पुरस्कार भी वितरित किए गए। प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रशासन ने फ्रिज, द्वितीय पुरस्कार के रूप में एलईडी टीवी और तृतीय पुरस्कार के रूप में साइकिल प्रदान की। वोट राहगीरी के अंतर्गत संगीत से जुड़े कलाकारों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियां दीं।

कलेक्टर एवं एसपी ने संवेदनशील मतदान केंद्र का किया निरीक्षण

मतदाताओं को डराने, धमकाने वालों की शिकायत 1950 पर करें : जिला निर्वाचन अधिकारी

छतरपुर। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. एवं पुलिस अधीक्षक अमर जैन ने लवकुशनगर क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसडीएम देवेन्द्र चौधरी, गोरिहार एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी एम.के. कोटार्य, सीएमएचओ डॉ. आर.पी. गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जी.आर. ने बगमऊ एवं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मतदान केंद्र का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदान केंद्रों पर कम से कम 50 पौधों का रोपण करें और सेक्टर के हिसाब से एक एम्बुलेंस मतदान समाप्ति तक मय मॉडकल टीम के अलर्ट मोड में तैनात रहे। उन्होंने कहा केंद्रों पर गमी को देखते हुए छायादार टेंट की व्यवस्था, पेयजल सहित स्वच्छता की बेहत व्यवस्था रहे।



साथ ही ओ.आर.एस. सहित आवश्यक दवाईयां उपलब्ध रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने केंद्र की बैरिकेडिंग एवं परिसर में पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों से किया संवाद -

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्राम

बगमऊ के ग्रामीण मतदाताओं से संवाद करते हुए कहा कि गांव में अगर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो डराना धमकाना हो एवं मतदान को प्रभावित करता हो। उन्होंने कहा ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा निर्वाचन संबंधी समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1950 पर तत्काल कॉल करें।



जिला निर्वाचन अधिकारी ने लवकुशनगर में मतदाता जागरूकता बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी -

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. ने लवकुशनगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मतदाता जागरूकता

बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसपी अमर जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से मतदाताओं को 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही नारे लगाकर अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोट डालने का संदेश दिया।

घटिया निर्माण सामग्री से चल रहा पुलिया का निर्माण कार्य, स्थानीय लोगों ने लगाए आरोप

नौगांव। शहर के वार्ड नम्बर 13 में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बगल में काफी समय से क्षतिग्रस्त पुलिया पर नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माणाधीन नाली कम पुलिया के निर्माण में मानक के अनुसार काम न होकर कार्य को निपटया जा रहा, स्थानीय लोगों ने लगाए आरोप। निर्माणाधीन नाली कम पुलिया में सरिया की थिकनिस सहित नाली की रिटर्निंग वॉल में सरिया के बीच गैप और सीमेंट में रेत की जगह डस्ट का उपयोग कर निर्माण कार्य चलने के आरोप लग रहे। नगर पालिका द्वारा ठेकेदार के माध्यम से बनवाई जा रही पुलिया नपा के उद्देश्यों पर पानी फेर रही है, दरअसल नपा ठेकेदार के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय के बगल से गुजरने वाले पथ पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नाली और नाली के ऊपर पुलिया का निर्माण करा रही है। जिसमें ठेकेदार के द्वारा निर्माण सामग्री में तय मानक अनुसार एवं घटिया सामग्री का उपयोग करके कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा गिट्टी, सीमेंट का मिलान सही अनुपात में नहीं किया जा रहा है। नाली की रिटर्निंग वॉल में लग रही सरिया के बीच भी गैप और सरिया के थिकनिस एमएम का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब ऐसे में ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कर शासकीय राशि टिकाने लगाते हुए घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। घटिया निर्माण होने से आने वाले



मानक अनुसार नहीं लगाया जा रहा सरिया

कुछ ही दिनों में निर्माण कार्य ध्वस्त होने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार निर्माण के दौरान एक सीमेंट, डेड रेत, 3 गिट्टी के अनुपात में मिक्स कर मसाला तैयार किया जाता है, जबकि मौके पर 1 सीमेंट, 4 रेत, 6 गिट्टी मिलाकर मसाला तैयार कर निर्माण कार्य को निपटया जा रहा है। हालांकि मगर पालिका के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई निर्माण कार्य हुए हैं जिन्हें नगर पालिका के अधिकारियों ने मानक के अनुरूप बताया लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों बाद यह कार्य क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो गए, साथ ही बीते वर्षों में नपा द्वारा कराए गए करोड़ों

रूप के सौंदर्यकरण के कार्य के हाल शहर के सामने है, वो अलग बात है कि नपा के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को यह सब दिखाई नहीं देता और अपने गुणवत्ताहीन कार्य को मानक अनुसार बताकर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करते हैं।

इनका कहना है -

निर्माण कार्य में लग रही सामग्री एवं निर्माण कार्य मानक अनुसार हो रहा है, फिर भी यदि गुणवत्ताहीन की बात सामने आई है, तो अभी मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं।

आलोक जायसवाल
उपचरणी, नगर पालिक परिषद, नौगांव

पुलिस पर लगे श्री जी की शोभायात्रा रोकने के आरोप

छतरपुर। जिले के ग्राम बाजना में बीते रोज महावीर जयंती के अवसर पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी, जिसे रोकने और समाज के लोगों के साथ अमद्रता करने के आरोप बाजना थान पुलिस पर लगे हैं।



नाराज जैन समाज ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा झापान

सोमवार को जैन समाज की जिला इकाई ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर शोभायात्रा रोकने और अभद्रता करने वाले बाजना थाना के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जैन समाज के जिलाध्यक्ष अरुण जैन ने बताया कि 21 अप्रैल को बाजना में महावीर जन्म कल्याण के अवसर पर श्री जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभायात्रा निकालने से पहले समाज ने पुलिस और प्रशासन से विधिवत अनुमति ली थी, बावजूद इसके बाजना थाना के सिपाही गणेश अहिरवार ने

शोभायात्रा में शामिल डीजे को बंद कराने के लिए समाज के लोगों के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। इसके बाद बाजना थाना प्रभारी राजेश सिकरवार मौके पर पहुंचे और उन्होंने डीजे बंद करवाकर शोभायात्रा को थाने ले जाने के निर्देश दिए। पुलिस के इस व्यवहार से समाज के लोग भयभीत हो गए और आधे रास्ते से ही शोभायात्रा को वापिस लौटा लिया। समाज के जय कुमार जैन, बाजना निवासी बाल कुमार जैन आदि ने कहा कि बाजना पुलिस द्वारा किए गए इस कृत्य से संपूर्ण जैन समाज आहत है। पुलिस

अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर जैन समाज ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग रखी है।

इनका कहना है -

महावीर जयंती की शोभायात्रा के दौरान बाजना कस्बे में पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता किए जाने और शोभायात्रा को रोक जाने की शिकायत जैन समाज द्वारा की गई है। घटना की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर विधि सम्मत कार्यवाही होगी।

विक्रम सिंह, एएसपी, छतरपुर

चुनाव के लिए सशस्त्र सैनिक बल की 11 कंपनियां तैनात

55 बढामरा जिला बढर, 182 हथियार लाईसेंस निरस्त

छतरपुर। छतरपुर जिले के अतगत तीन लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता 26 अप्रैल को मतदान कर देश की केन्द्र सरकार को बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी हो इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए स्थानीय पुलिस बल के अलावा सीआरपीएफ जैसी सशस्त्र बलों की 11 कंपनियां छतरपुर में पहुंच चुकी हैं। लगभग साढ़े तीन हजार से अधिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान 26 अप्रैल को 1589 मतदान केंद्रों पर मतदान कराएंगे। जिले में कुल 355 संवेदनशील और



48 मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील श्रेणी में आते हैं इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर संदीप जीआर, पुलिस अधीक्षक अमर जैन के द्वारा जिले के सेक्टर अधिकारियों की बैठक सोमवार को ली गई। इस बैठक के माध्यम से फाइल तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिक से अधिक

लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद कलेक्टर ने शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बैठक ली। इस मौके पर बताया गया कि अब तक चुनाव की दृष्टि से 55 बढामराओं को जिला बढर कर दिया गया है जबकि लगभग 30 बढामराओं पर जिला बढर का प्रकरण लंबित है। शस्त्रों का दुरुपयोग करने

चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने प्रशासन ने कमर कसी

वाले 182 लोगों के शस्त्र निरस्त कर दिए गए हैं क्योंकि इनके द्वारा लाईसेंस शस्त्रों से अपराध किए गए थे। चुनाव के पहले जिले के सभी शस्त्रधारियों के शस्त्रों को थानों में जमा करा लिया गया है। जिले में 18 एसएसटी और एफएसटी टीमों निरंतर विभिन्न मार्गों पर सघन चैकिंग अभियान चला रही हैं जिससे अब तक 38 लाख रूपए का कैस जब्त किया गया, इसकी जांच की जा रही है। एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि कलेक्टर, डीआईजी और एसपी के मार्गदर्शन में जिले के भीतर शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

घर के ऊपर से बिजली के तार डालने से रोकने पर चले लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी



छतरपुर। सटई थाना क्षेत्र के ग्राम बछरौनिया में पड़ोसी द्वारा घर के ऊपर से बिजली के तार डालने को लेकर उपजे विवाद में जमकर लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी चलने की घटना सामने आई है। मारपीट में दो महिलाओं सहित कुल तीन लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती आवेदन देकर हमलावरों पर कार्रवाई करने की

मांग की है। बछरौनिया निवासी हलकन कुशवाहा ने बताया कि विगत 18 अप्रैल की दोपहर में उसका पड़ोसी रामप्यारे कुशवाहा, द्वारका कुशवाहा और सुक्की कुशवाहा उसके घर के ऊपर से बिजली के तार डाल रहे थे। दुर्घटना की आशंका को ध्यान में रखकर हलकन ने बिजली के तारों को घर के ऊपर की बजाय पेड़ के ऊपर से डालने

पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा पीड़ित परिवार, लगाई न्याय की गुहार

के लिए कहा, जिससे रामप्यारे, द्वारका और सुक्की कुशवाहा नाराज होकर गाली-गलौज करने लगे। इसी बीच रामप्यारे की पत्नी भुमानीबाई भी मौके पर पहुंच गईं। जब हलकन और उसके परिजनों ने उक्त लोगों को गाली-गलौज करने से रोका तो उन्होंने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान हलकन कुशवाहा के सिर में कुल्हाड़ी लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हलकन के साथ-साथ उसकी पत्नी रामप्यारी और पुत्री रामदेवी भी घायल हुईं। हलकन ने घटना की रिपोर्ट सटई थाने में की थी लेकिन पुलिस ने उचित कार्यवाही नहीं की इसलिए अब पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचा है।



हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले को पुलिस ने पकड़ा

लग्जरी कार और अवैध पिस्टल बरामद, दो दिन पहले की थी घटना

छतरपुर। विगत 19 अप्रैल को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड पर तीन लोगों ने मिलकर हवाई फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई थी। उक्त मामले की शिकायत ग्राम पुछी निवासी देवीदीन पटेल ने थाने में की थी, जिस पर पुलिस ने धारा 341, 294, 323, 336, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। सिविल लाइन थाना प्रभारी बाल्मीक चौबे ने बताया कि घटना में सटई रोड छतरपुर निवासी प्रशांत सिंह गौतम उर्फ राजू राजा

सहित दो नाबालिग लड़के शामिल थे। घटना को गंभीरता से लेकर पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू की गई। रविवार को तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों के पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल, एक जिन्दा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बीएमडब्ल्यू कार जब्त की गई है। राजू राजा को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है, जबकि दोनों विधि विरुद्ध किशोरों को बाल सुधार गृह में दाखिल किया गया।

पीले चावल देकर मतदान केंद्र आकर वोट देने दिया आमंत्रण

छतरपुर। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिले में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. के निर्देशन जिले में महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र आकर वोट डालने के लिए बुंदेली परंपरा एवं संस्कार में परिपूर्ण पीले चावल देकर आमंत्रित किया जा रहा है। 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में किसी एक को दिखाकर कर सकेंगे मतदान



पहचान पत्र या 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से किसी एक को साथ लेकर मतदान केंद्र पर जाएं। जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सेवा पहचान पत्र, दिव्यांग यूनिफ़ॉर्म कार्ड, पेंशन दस्तावेज एवं अधिकारिक पहचान पत्र में कोई भी एक दिखाकर मतदाता वोट डाल सकेंगे।

खबर संक्षेप

मऊगंज पुलिस ने 19 वर्षों से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को किया गिरफ्तार

मऊगंज। जिले के एसडीओपी मऊगंज सुश्री अंकिता सुल्या के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरी.अनिल काकड़े के द्वारा दिनांक 22/04/2024 को की गई कार्यवाही-मऊगंज पुलिस ने 19 वर्षों से फरार चल रहे वारंटी को घुरेहटा गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। जिसे कागजी कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। आरोपी मकबूल अहमद पुत्र अब्दुल रजाक उम्र 65 निवासी घुरेहटा जो कि अप. क्र.190/05धारा -498 आईपीसी में फरार चल रहा था। जिसके खिलाफ मऊगंज माननीय न्यायालय से स्थाई वारंटी जारी हुआ था। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि फरार वारंटी घुरेहटा गांव में घूम रहा है। खबर मिलते ही मऊगंज पुलिस ने घुरेहटा गांव में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। महत्वपूर्ण भूमिका मऊगंज थाना प्रभारी निरी.अनिल काकड़े, प्र.आर.275यजेंद्र सिंह प्र. आर.561 रामकुमार भास्कर आर. अवनीश पाण्डेय, आर.विवेक यादव, रजनीश यादव सुरेश यादव को सराहनीय भूमिका रही।

थाना लौर पुलिस द्वारा 8000 रुपए के इनामी स्थाई वारंटी मनोज गोंड सहित एक अन्य वारंटी को गिरफ्तार किया मऊगंज। थाना प्रभारी लौर जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा हमराह स्टाफ के साथ आज दिनांक 22.04.24 को ग्राम बौड़रा चौकी लालगाँव थाना गढ़ जिला रीवा (म.प्र.) में दबिश देकर 8000 रुपए के इनामी स्थाई वारंटी मनोज गोंड पिता प्रेमलाल उर्फ श्यामलाल गोंड उम्र 30 नि. ग्राम बौड़रा थाना गढ़ जिला रीवा को गिरफ्तार कर कुल 04 किता स्थाई वारंटों की तामिली किये गये एवं ग्राम नौदिया थाना लौर में दबिश देकर गिरफ्तार वारंटी भैयालाल पटेल पिता स्व. कमला प्रसाद पटेल उम्र 60 वर्ष नि ग्राम नौदिया थाना लौर जिला मऊगंज को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार वारंटी 1- मनोज गोंड पिता प्रेमलाल उर्फ श्यामलाल गोंड उम्र 30 नि. ग्राम बौड़रा थाना गढ़ जिला रीवा। 2- भैयालाल पटेल पिता स्व. कमला प्रसाद पटेल उम्र 60 वर्ष नि ग्राम नौदिया थाना लौर जिला मऊगंज।

सराहनीय भूमिका- जगदीश ठाकुर थाना प्रभारी लौर, सजिन रमेश थानी, दिलराज सिंह चौहान, आरक्षक अखिल सिंह बघेल, आरक्षक देवेश चुटवेंदी, मुकेश कुमार, शुभांक सिंह।

मानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान का प्रतिशत उमरिया 22 अप्रैल- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धरनेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि मानपुर विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केन्द्रों में 100 फीसदी मतदान हुआ है। इसी तरह 8 मतदान केन्द्रों में 95 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। 190 से 95 प्रतिशत के बीच 2 मतदान केन्द्र, 85 से 90 प्रतिशत के बीच 2 मतदान केन्द्र, 80 से 85 प्रतिशत के बीच 9 मतदान केन्द्र, 75 से 80 प्रतिशत के बीच 15 मतदान केन्द्र, 70 से 75 प्रतिशत के बीच 34 मतदान केन्द्र, 65 से 70 प्रतिशत के बीच 70 मतदान केन्द्र तथा 174 मतदान केन्द्रों में 65 प्रतिशत मतदान हुआ है।

मतदाताओं का आगार महोत्सव कार्यक्रम आज उमरिया। लोकसभा निर्वाचन 2024 में आम सेमरि एव पिपरिटीला के मतदाताओं द्वारा शत प्रतिशत मतदान किया गया है। जिनके सम्मेलन में मतदाता आगार महोत्सव कार्यक्रम 23 अप्रैल को आम सेमरि में दोपहर 2 बजे से तथा पिपरिटीला में सायं 4 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

समिति की बैठक कल उमरिया। मप्र अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत संभागा स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कमिश्नर की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को प्रातः 11.30 बजे कमिश्नर के सभाकक्ष में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक अब 24 अप्रैल को आहूत की जावेगी।

मानव को एकत्व के सूत्र में बांधता - मानव एकता दिवस

“24 अप्रैल को 19वां विशाल जिला स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन”



रीवा

सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन आशीर्वाद से 'मानव एकता दिवस' का आयोजन बुधवार 24 अप्रैल, 2024 को संत निरंकारी सत्संग भवन, चोरहटा बाड़पास, रीवा में किया जायेगा। यह दिन युगप्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी के परोपकारी जीवन एवं उनकी लोक कल्याण की भावना को समर्पित है। इस कार्यक्रम में रीवा एवं आसपास के अन्य ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित होकर बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं मिशन के अनन्य भक्त चाचा प्रताप सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनके महान जीवन से प्रेरणा लेते हुए अमोलक प्रवचनों को भी श्रवण करेंगे।

संत निरंकारी मण्डल के सचिव एवं समाज

कल्याण विभाग के प्रभारी आदरणीय श्री जोगिन्द्र सुखोजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सतगुरु की असीम कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समूचे विश्व के विभिन्न स्थानों पर संत निरंकारी मिशन की समाज कल्याण शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर की अखिल श्रृंखलाओं का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जायेगा जिसमें मानवता की भलाई हेतु रक्तदाता, रक्तदान कर निःस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। रीवा के संत निरंकारी सत्संग भवन, चोरहटा में 24 अप्रैल 2024 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित इस 19वें विशाल रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहित करने हेतु संजय गांधी अस्पताल रीवा एवं कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल बिछिया रीवा के प्रशिक्षित डाक्टर की टीम सम्मिलित होगी। साथ ही देश के अन्य शहरों में भी आयोजित रक्तदान शिविरों में स्थानीय अस्पतालों के डाक्टर एवं नर्स रक्त संग्रहित करने हेतु उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त सभी स्थानों पर सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा।

युगप्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याणार्थ समर्पित किया; उन्होंने ब्रह्मज्ञान की दिव्य दात द्वारा मानव को मानव से जोड़कर प्रेम और मिठास की सदा बहने वाली निर्मल धारा को प्रवाहित कर हर हृदय में अपना स्थान बनाया। प्रत्येक भक्त के जीवन को वास्तविक रूप में एक व्यावहारिक दिशा प्रदान की जिसके लिए मानवता उनकी सदैव ही ऋणी रहेगी। उनकी इन्हीं दिव्य सिखलाइयों को वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्य के प्रकाश पुंज रूप में प्रवाहित कर रहे हैं जिसकी रोशनी से हर मानव अपने जीवन का सकारात्मक रूप में कल्याण कर रहा है।

रक्तदान महादान - मानव सेवा का लक्ष्य महान

युगदूषा बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा सन्-1986 से आरम्भ हुई परोपकारी यह मुहिम, महाअभियान के रूप में आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। इन शिविरों में अभी तक 13,31,906 युनिट रक्त मानवमात्र की भलाई हेतु दिया जा चुका है और यह सेवाएं निरंतर जारी है।

मतदान सामग्री का वितरण व वापसी व्यवस्थित ढंग से निर्धारित समय पर संपन्न हो

मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

रीवा

लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। मतदान सामग्री शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा से 25 अप्रैल को वितरित की जाएगी। मतदान सामग्री के वितरण एवं वापसी के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विधानसभावार ड्यूटी लगाई गई है जिन्हें आज शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि मतदान सामग्री का वितरण व वापसी व्यवस्थित ढंग से निश्चित समय पर संपन्न हो इसके लिए नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी पूरी सजगता व गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री का समय पर वितरण हो जाने से मतदान दल निर्धारित मतदान केन्द्रों में नियत समय पर

पहुंच जायेंगे और मतदान से पूर्व अपनी व्यवस्थाएं कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री वितरण के समय अधिकारी दी जाने वाली ईन्वीएम व अन्य सामग्री को व्यवस्थित ढंग से काउंटर से वितरित कराएँ। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अधिकारी गंभीरता से अध्ययन कर लें तथा प्रशिक्षण में बताई गई बारीकियों को समझें ताकि वितरण कार्य में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि मतदान के उपरांत सामग्री वापसी में भी पूरी तय्यारी बरती जाए तथा आने वाली सामग्री को निर्धारित स्थानों में व्यवस्थित ढंग से रखवाया जाए ताकि नियत समय पर स्टूंग रूम बंद हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को सामग्री वितरण व वापसी स्थल पर



निर्धारित समय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण अवसर पर आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन ने विधानसभावार बनाए गए वितरण एवं वापसी काउंटर के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ.सौरभ सोनवणे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा वितरण एवं वापसी कार्य में लगे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

पीले चावल देकर मतदान करने के लिए दिया जा रहा है आमंत्रण



रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। स्वीप गतिविधि के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल देकर मतदान करने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। परिवोजन रीवा अन्तर्गत खौर, नौबस्ता के साथ ही त्योंथर, चन्द्रपुर, गुढ़, रायपुर कर्चुलियान, रीवा शहरी क्षेत्र के निपनिया, समान, नईगढ़ी, मनगवां, पिपराही, सिरमौर आदि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पीले चावल देकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है।



नगर निगम की आईईसी टीम द्वारा घर घर जाकर चलाया गया मलासुर अभियान

रीवा। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्रांतर्गत दिनांक 22.04.2024 को घर-घर जाकर नागरिकों को मलासुर गतिविधि के बारे में बताया गया। मलासुर अभियान का तात्पर्य सेंटिक टैंक से है अपने सेंटिक टैंक को हर 3 साल में खाली करवाएँ इसके बारे में लोगों को समझाइस दी गई। नागरिकों द्वारा सेंटिक टैंक को साफ करने के लिए टोल फ्री नम्बर 181 या 14420 के बारे में भी बताया गया कि इन टोल फ्री नम्बर में कॉल करके आप अपने सेंटिक टैंक को आसानी से साफ करवा सकते हैं साथ ही नागरिकों को बताया गया कि नगर निगम में जो रजिस्टर्ड सफाई कर्मी हैं, उन्हीं से सफाई करवाएँ जिससे सैटी उपकरण के साथ सेंटिक टैंक को साफ करें। प्रायः देखा जा रहा है लोग अपने घरों के आस पास सफाई रखते हैं लेकिन सेंटिक टैंक को ध्यान नहीं देते जिस कारण से पूरा सेंटिक टैंक का गंदा पानी नालियों के माध्यम से हमारे जलाशयों में मिलाकर हमारे पीने योग्य पानी को दूषित करता है और हमें बीमारियों से जूझना पड़ता है। नगर निगम की आईईसी टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर सेंटिक टैंक की सफाई कराया जाने के लिए एक अभियान चलाया गया। सभी के प्रयास से ही रीवा शहर को साफ, स्वच्छ, समृद्ध एवं स्वस्थ बनाया जा सकता है।



दूल्हा दुल्हन सहित घराती और बारातियों ने ली अब नशा से दूर रहने की शपथ



रीवा। जिले में रविवार को एक वैवाहिक कार्यक्रम में अलग ही नजारा देखने को मिला यहाँ शादी के जोड़े में तैयार खड़े दुल्हा और दुल्हन सहित घराती और बाराती हाथ आगे कर शपथ लिए। ये शपथ थीं नशे से दूर रहने की और समाज को यह मैसेज देने के लिए की नशा नशा का कारण बनता है समाजसेवी सुजीत दुवेदी पिछले कई सालों से नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ रहा है उनके पुत्र का विवाह था कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित थे उसी दौरान समाज को नशा से दूर रहने का सन्देश देते उन्होंने वही शपथ दिलाई इस शपथ में उनका बेटा और नई नवेली बहू भी शामिल हुए। समाजसेवी सुजीत दुवेदी ने बताया कि नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्ति का मैसेज देने के लिए ये कदम उठाया है वही आगे उन्होंने बताया कि मैं पिछले कई सालों से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, और अभियान चला रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी में भी इसे जारी रखा। मेरी मां कौशल्या दुवेदी का 4 फरवरी को देहांत हो गया था। उस समय भी हमने मां की चिता को साक्षी मानकर शपथ ली थी। मैं बीते 20 वर्षों से लगातार इस दिशा में काम कर रहा हूँ। वही समाजसेवी सुजीत दुवेदी लगातार पैदल यात्रा करके भी लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिला रहे हैं।

मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान कराने के लिए सभी मतदान केन्द्रों में पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गयी हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट तथा कैमरे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि मतदान केन्द्र में केवल निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफीसर तथा पीठासीन अधिकारी ही आवश्यकता होने पर मोबाइल

फोन का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता तथा अन्य व्यक्ति मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आये। मोबाइल फोन के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को प्राधिकृत पत्र जारी किये गये हैं। इस प्रवेश पत्र के साथ ही मीडिया कर्मी मतदान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादन की अनुमति

होगी। मीडिया कर्मी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलेक्टर करते समय किसी भी स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग न हो तथा मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। मीडिया कर्मी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के बाहर ही किसी व्यक्ति या मतदाता का इंटरव्यू ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सभी पत्रकार निर्वाचन कार्य का कवरेज करेंगे।

सभी मतदान केन्द्रों में प्राथमिक जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें

रीवा ! कलेक्टर के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने मतदान केन्द्रों की तैयारीयों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के साथ-साथ प्रकाश के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करें। उपलब्धता के अनुसार जनरेटर, रिचार्जबल बैटरी, चार्ज होने वाले बैटरी की व्यवस्था कराएँ। मतदान केन्द्रों की साफ-सफाई कराकर वहाँ मतदान दल के ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था करें। गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक कूलर की भी अनिवार्यतः व्यवस्था कराएँ। मतदान केन्द्रों में चालू हालत में साफ शौचालय होने चाहिए ताकि मतदान दल कर्मियों को परेशानी न हो। मतदान केन्द्र में मतदान कर्मियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। इसके साथ ही मतदान केन्द्र परिसर में टैंक भी रखवाया जाए ताकि मतदाताओं को पानी की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर छाया के लिए टेंट की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि किसी भी मतदान केन्द्र में जरूरी व्यवस्थाओं में कमी की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जनपद के सीईओ प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए मतदान पूरा होने तक एक कर्मचारी तैनात रखें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान दल कर्मियों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री में मॉडिकल किट भी रखवाई गई है। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सक एआरओ के संपर्क में रहें ताकि चिकित्सा संबंधी किसी भी जरूरत पर वह तत्काल संबंधित मतदान दल के पास तक

पहुंच सकें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी कि मतदान सामग्री वितरण केन्द्र में एंबुलेंस के साथ चिकित्सकों का दल तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त मतदान दल कर्मियों के लिए मॉडिकल किट में रखी गई दवाइयों के उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी गई है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.सौरभ सोनवणे ने जनपद के सीईओ से प्रत्येक मतदान केन्द्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन ने पिंक व मिक्स पॉलिंग बूथ में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभी एसडीएम, जनपद के सीईओ, नगर पंचायतों के सीएमओ तथा बीएमओ उपस्थित रहे।



मतदाता की पहचान के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य

रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिलेगा। मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र से मतदान का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें से किसी एक का उपयोग करके मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है। इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिट दिव्यांगता आईडी शामिल है।

रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग मशीन में नोटा का भी बटन लगाया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद अपना मत किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं देना चाहता है तो उसके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं नॉन आफ दी एवं नोटा का बटन रहेगा। इसको दबाने पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित नहीं होगा। इस मतदाता का उपयोग करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी। बटन पर हिन्दी भाषा में नोटा लिखा रहेगा। मतगणना के तहत भी नोटा में दर्ज मत अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियम 49-क के अनुसार यदि किसी मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या चुनाव में शामिल अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से अधिक है तो नियम 64 के प्रावधान के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के बीच जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए है उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

वोटिंग मशीन में होगा नोटा का भी बटन

रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग मशीन में नोटा का भी बटन लगाया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद अपना मत किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं देना चाहता है तो उसके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं नॉन आफ दी एवं नोटा का बटन रहेगा। इसको दबाने पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित नहीं होगा। इस मतदाता का उपयोग करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी। बटन पर हिन्दी भाषा में नोटा लिखा रहेगा। मतगणना के तहत भी नोटा में दर्ज मत अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियम 49-क के अनुसार यदि किसी मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या चुनाव में शामिल अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से अधिक है तो नियम 64 के प्रावधान के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के बीच जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए है उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे रीवा, एसएफ मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित

रीवा। सोमवार को मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नन्दा मंगलवार को रीवा आ रहे हैं। जो भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को एसएफ ग्राउण्ड में 12 बजे सम्बोधित करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष टीकमगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा रीवा आएंगे। जहां वह चुनावी जनसभा को सम्बोधित करने के पश्चात सतना हेलीपैड जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भाजपा के पक्ष में पूरे देश में वातावरण बना हुआ है वहीं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं उन्होंने ही बताया जिस पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण ठुकराया है उस पार्टी में रहना व्यर्थ है।

सोशल मीडिया पर भी नहीं होगा चुनाव प्रचार

रीवा। संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त हो रही है। इस अवधि के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल 24 अप्रैल को शाम 6 बजे तक सोशल मीडिया पर वाइस मैसेज, फोन काल अथवा सामान्य एसएमएस भेजकर चुनाव प्रचार अथवा मत की याचना न करें। ऐसा करना निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना होगा दण्डनीय

रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान समिति के 48 घंटे पहले यानी 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से सभी तरह का सार्वजनिक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा तथा न ही उसे संबोधित करेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार

समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा। टी.वी, चलचित्र, रेडियो, एफ.एम.चैनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे चुनाव में

मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान है। उम्मीदवार प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले अपील जारी कर सकते हैं। अपील जारी करने के पूर्व उसका जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग सेल से प्रमाणन कराना आवश्यक होगा।